

सर्विस के लिए किसी उम्मीदवार के स्वास्थ्य के बारे में

## मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट

उत्तर प्रदेश में इण्डियन सिविल को छोड़कर भारतीय प्रान्तीय नौकरियों में नियुक्ति के लिए उम्मीदवार के स्वास्थ्य परीक्षा सम्बन्धी नियमविधान, रेग्युलेशन)

1. उत्तर प्रदेश सरकार अन्तर्गत किसी नियुक्ति के लिए किसी उम्मीदवार को योग्य घोषित करने के निमित्त यह आवश्यक है कि उसका मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा हो और वह किसी ऐसे शारीरिक दोष से रहित हो, जिसके कारण उसे अपने पद के कर्तव्यों को सुचारू रूप से पालन करने में बाधा पड़ने की संभावना हो।
2. यूरोपीय जाति के उम्मीदवारों की स्वास्थ्य परीक्षा करने के लिए आयु कद और छाती की चौड़ाई का पारस्परिक सम्बन्ध प्रदर्शित करने में, निम्नलिखित तालिका उदाहरण स्वरूप उपयोग में लानी चाहिए। यह भारतीय मिश्रित जातियों के सम्बन्ध में उपयोग में नहीं लायी जायेगी।

### शारीरिक अनुरूपता

पिछली वर्षगांठ को आयु	जूता उतार के लम्बाई	छाती की चौड़ाई पूरी फुलाने पर	फुलाने पर छाती का विस्तार निम्नलिखित से कम न हो
1	2	3	4
16	60 और 62 इन्चों से कम	—	इन्च 2
	62 और 65 इन्चों से कम	—	32-1/2 2
	65 और 68 इन्चों से कम	—	33-1/2 2
	68 और 72 इन्चों से कम	—	33-1/2 2
	72 और इससे अधिक	—	34 2
	65 और 68 इन्चों से कम	—	34-1/2 2
17	62 और 65 और इससे अधिक	—	33-1/2 2
	65 और 68 और इससे अधिक	—	33-1/2 2
	68 और 72 और इससे अधिक	—	34-1/2 2
	72 और इससे अधिक	—	35-1/2 2
18	62 और 65 इन्चों से कम	—	34 2
	65 और 68 इन्चों से कम	—	34-1/2 2
	68 और 72 इन्चों से कम	—	35 2
	72 और इससे अधिक	—	35-1/2 2
19	62 और 65 इन्चों से कम	—	34 2
	65 और 68 इन्चों से कम	—	34-1/2 2
	68 और 70 इन्चों से कम	—	34 2
	70 और 72 इन्चों से कम	—	35-1/2 2
	72 और इससे अधिक	—	36 2
20	62-1/2 और 65 इन्चों से कम	—	34-1/2 2
	65 और 68 इन्चों से कम	—	34-1/2 2
	68 और 70 इन्चों से कम	—	35 2
	70 और 72 इन्चों से कम	—	35-1/2 2
	72 और इससे अधिक	—	36 2
21	62-1/2 और 65 इन्चों से कम	—	34-1/2 2
	65 और 68 इन्चों से कम	—	35 2
	68 और 70 इन्चों से कम	—	35-1/2 2
	70 और 72 इन्चों से कम	—	36 2
	72 और इससे अधिक	—	36-1/2 2

3. उम्मीदवार की लम्बाई इस प्रकार नापी जायेगी। वह अपने जूते उतारेगा और मापदण्ड (Standard) के सामने अपने दोनों पैर मिलाकर तथा एड़ियों के बल खड़ा होगा, न कि अंगूठों या पैर में बाहर की ओर देकर खड़ा होगा। वह स्वाभाविक रूप से सीधा खड़ा होगा और एड़ियां, पिंडलियां, चूतड़ और कंधे मापदण्ड को स्पर्श करें ठडडी को इस प्रकार नीचे किया जायेगा कि सिर के धरातल का सबसे ऊँचा भाग मापदण्ड के हारिजंटल-बार के नीचे लगा रहे और नं0 को माप इन्चों में और इन्च के चौथाई भाग में लिखी जायेगी। इण्डियन पुलिस फोर्स के लिए कम से कम 5 फुट 4 इन्च की लम्बाई आवश्यक है, लेकिन अन्य विभागों में लम्बाई की कोई निर्धारित सीमा नहीं रखी गई है।

4. उम्मीदवार की छाती इस प्रकार नापी जायेगी। वह पाँव को मिलाकर अपने सिर के ऊपर दोनों बाहों को उठाकर सीधा खड़ा किया जायेगा फीता उसकी छाती के चारों ओर इस प्रकार रखा जायगा कि उसका ऊपरी सिरा कन्धे की हड्डी के पीछे की ओर के निम्न कोणों को और उसका नीचे का सिरा सामने स्तनों की ढपेनी (Nipples) के ऊपरी भागों को छूता रहे। तब बाँहें नीचे की जायेंगी ताकि वे ढीले रूप में बगल की ओर लटकी रहें और इस बात का ध्यान रखा जायेगा कि कन्धे ऊपर या नीचे की ओर न किये जाये, जिससे फीता अपनी जगह से इधर उधर न हो। इसके बाद उम्मीदवार को कई बार गहरी साँस लेने के लिए आदेश किया जायेगा और सीने का अधिक से अधिक विस्तार सावधानी से लिख जायेगा, कम से कम और अधिक से माप इन्चों में लिखी जायेगी। 33-35 34-36-1/2 नापों को लिखने में 1/2 इन्च से कम भाग छोड़ देना चाहिए।

5. उम्मीदवार की तौल भी ली जायेगी और वजन पाउन्डों में लिखा जायेगा। एक पाउन्ड से कम भाग नहीं लिखा जायेगा।

6. **नोट :-** रेलवे कर्मचारियों और रायल इन्डियन मेरीन के चालाके (Pilot) के लिए विशेष नियम लागू हैं।

(क) दृष्टि की तीव्रता को जानने के लिए परीक्षा में 2 प्रकार की जाँच सम्मिलित हैं - एक दूर दृष्टि के लिए और दूसरी निकट दृष्टि के लिए दूर दृष्टि के लिए स्नेलन जाँच-विधियाँ प्रयोग में लायी जायेंगी, जो बिना ऐनक पहने हुए 20 फिट की दूरी से होगी, जो उम्मीदवार द्वारा चुनी जाय।

दृष्टि की न्यूनतम सूक्ष्मता के मापदण्ड - जो किसी उम्मीदवार की परीक्षा के लिए पथ प्रदर्शन के निमित्त प्रयोग में लाये जायेंगे निम्नलिखित हैं :-

#### मापदण्ड (Standard)

दाईं आँख  
दूर दृष्टि-वी = 6/6  
निकट दृष्टि-पढ़ने में 0.6

बाईं आँख  
बी=6/6  
पढ़ने में 0.6

#### मापदण्ड (Standard) 2

अच्छी आँख  
दूर दृष्टि बी=6/6

खराब आँख  
वी0 बिना ऐनक पहिने हुये 2=6/60  
से कम नहीं और ऐनक पहिन कर ठीक होने के बाद 6/24 से कम नहीं।

#### मापदण्ड (Standard) 3

निकट दृष्टि-पढ़ने में 0.6  
अच्छी आँख  
दूर दृष्टि-की बिना ऐनक के  
=6/24 और ऐनक पहिन कर  
दृष्टि ठीक करने पर 6/6 से कम न हो।  
निकट दृष्टि पढ़ने में 0.8

पढ़ने में 1  
खराब आँख  
बी0 बिना ऐनेक के=6/24 से कम न हो  
ऐनक पहिन कर दृष्टि ठीक करने 6/12  
से कम न हो। पढ़ने में 1

भारतीय और प्रान्तीय पुलिस सर्विसों को छोड़कर अन्य सर्विसों के लिए मापदण्ड (Standard) अस्थाई रूप से घटाकर 6/60 कर दिया गया है।

- (व) प्रत्येक आँख के लिए यह आवश्यक है कि हाथ को हिला डुला के जाँच करने में दृष्टि-क्षेत्र में पूरा-पूरा हो।
- (ख) टेढ़ी दृष्टि या आँखों के या किसी आँख के पलकों की इस प्रकार व्याधि-ग्रस्त होने से जिससे आँख की बीमारी बढ़ जाने या फिर से पैदा होने की संभावना हो उम्मीदवार नहीं लिया जायेगा।
- (ग) हर आँख की जाँच अलग-अलग की जायेगी और जाँच के समय पलकें बिल्कुल खुली रहनी चाहिए।
- (घ) प्रमुख रोगी की पहचान की असमर्थता, अस्वीकृत होने के कारण नहीं होगी, लेकिन यह बात कार्यवाहियों में लिख दी जायेगी और उम्मीदवार को उसकी सूचना दे दी जायेगी।
- (च) नौकरी के सब उम्मीदवारों की दृष्टि सूक्ष्मता की माप निम्नलिखित विधि से कार्यवाहियों के रजिस्टर में लिखी जायेगी -

दृष्टि दाई	ऐनक पहिन कर	पढ़ने पर
दृष्टि बाई	ऐनक पहिन कर	पढ़ने पर

(गम्भीर असाधारणता की दशाओं में चक्षु विशेषज्ञ की राय लेनी चाहिए)

7. पेशाब (परीक्षक के सामने की गई) की जाँच की जानी चाहिए और परिणाम लिख लिया जाना चाहिए।
8. इसके अतिरिक्त निम्नलिखित बातों का ध्यान देना चाहिए।
- (क) कि उम्मीदवार के प्रत्येक कान की श्रवण शक्ति अच्छी है और कोई कान की बीमारी का चिन्ह नहीं है।
- (ख) उसकी बोलचाल में कोई रुकावट नहीं है।
- (ग) उसके दाँत अच्छी हालत में हैं जहाँ की आवश्यक हो अच्छी तरह चबाने के लिए उतने दण्ड-पंक्ति लगा की। (समुचित रूप से भरे हुए दाँत अच्छे समझे जायेंगे।)
- (घ) उसकी छाती का गठन अच्छा है और उसकी छाती का फैलाव पर्याप्त है तथा उसके दिल और फुसफुस अच्छी अवस्था में है।
- (ङ) उसमें पेट की बीमारी के कोई लक्षण नहीं है।
- (च) उसका शरीर विदोर्ण नहीं है।
- (छ) उसे अण्ड वृद्धि, अत्यधिक मात्रा में अण्ड-कोष की नसों की सूजन और नसों का फूल आना या बवासीर नहीं है।
- (ज) उसके अंग हाथ और पैर अच्छे ढंग से देखे हैं और सुगठित हैं तथा उसके सम्पूर्ण जोड़ों की क्रियायें स्वच्छद और पूर्ण रूप से होती हैं।
- (झ) उसे किसी प्रकार का पुराना चर्म रोग नहीं है।
- (ट) उसके शरीर में कोई पैदाइशी अंग-विकृति या दोष नहीं है।
- (ठ) उसमें कोई नई या पुरानी बीमारी के चिन्ह, जो उसकी शारीरिक निर्बलता के सूचक हों नहीं हैं।
- (ड) उसके सफल टीके के चिन्ह विद्यमान हैं।

जब कोई दोष पाया जाय प्रमाण-पत्र पर उसका उल्लेख अवश्य कर देना चाहिए और स्वास्थ्य परीक्षक को अपनी अनुमति देना चाहिए कि इसके कारण उस कार्य को सुचारू रूप से सम्पादन करने में, जो उम्मीदवार को करना पड़ेगा, कोई बाधा पड़ने की सम्भावना है कि नहीं। यदि उसकी अवस्था आपरेशन करने से सुधर सकती हो, तो उसका उल्लेख कर देना चाहिए।

स्वास्थ्य के सम्बन्ध में घोषणा का कार्य जिसे वे उम्मीदवार भरेंगे जिनकी जाँच

### मेडिकल बोर्ड द्वारा की जाय

मेडिकल बोर्ड द्वारा स्वास्थ्य परीक्षा पर नियुक्ति के लिए उम्मीदवार द्वारा विवरण उम्मीदवार को अपनी मेडिकल बोर्ड द्वारा जाँच होने से पहले निम्नलिखित विवरण अवश्य देना होगा और बोर्ड के सामने इसके साथ नत्थी किये हुये घोषणा-पत्र पर हस्ताक्षर करने पड़ेंगे?

1. अपना पूरा नाम लिखिये (बड़े और स्पष्ट अक्षरों में) JIMESH KUMAR SHARMA
2. जन्म स्थान लिखिये Lahore Medical College
3. अपनी आयु और जन्म की तारीख लिखिये 56 yrs - 12th July 1961
4. अपने परिवार के सम्बन्ध में निम्नलिखित विवरण दीजिए :-

पिता की आयु, यदि जीवित हैं और उनके स्वास्थ्य की हालत	मृत्यु के समय पिता की आयु और मृत्यु का कारण	भाइयों की संख्या, जो जीवित हैं उनकी आयु और स्वास्थ्य की हालत	भाइयों की संख्या, जिनकी मृत्यु हो गयी हो, उनकी मृत्यु के समय आयु और मृत्यु का कारण
<u>died</u> <u>Normal upto death</u>	<u>74 yrs</u> <u>Normal old age</u>	<u>X</u>	<u>X</u>
माता की आयु, यदि जीवित हैं और उनके स्वास्थ्य की हालत	मृत्यु के समय माता की आयु और मृत्यु का कारण	बहिनों की संख्या, जो जीवित हैं उनकी आयु और स्वास्थ्य की हालत	बहिनों की संख्या जिनकी मृत्यु हो गयी है, उनकी मृत्यु के समय आयु और मृत्यु का कारण
<u>71 yrs</u> <u>सामान्य</u>	<u>X</u>	<u>one</u> <u>34 yrs</u>	<u>X</u>

5. क्या आपके कोई निकट सम्बन्धी क्षय रोग (यक्ष्मा, गन्डमाला, कर्कट, दमा, चक्कर आना, मृगी, उन्माद और किसी अन्य प्रकार के रोग) से पीड़ित रहे? X
6. क्या आप कभी विदेश गये? कहाँ, कितनी अवधि के लिए कितने समय पूर्व? X
7. क्या आपने कभी नौ सेना, थल सेना, वायु सेना या किसी सरकारी विभाग में नौकरी की है? X
8. क्या कभी आपके स्वास्थ्य की परीक्षा (क) जीवन बीमा के लिये या और (ख) राज्य की किसी सरकारी मेडिकल अफसर, सिविल या मिलेट्री बोर्ड द्वारा हुई है? यदि हुई है तो उसका विवरण और परिणाम दीजिये। X

Jimesh  
H0 अभ्यर्थी



(6)

# उम्मीदवार द्वारा घोषणा (मेडिकल बोर्ड के सामने हस्ताक्षर किये जाने चाहिए)

मैं यह घोषित करता हूँ कि उपयुक्त सम्पूर्ण उत्तर मेरे पूर्ण विश्वास के साथ सत्य और सही हैं।

मैं मेडिकल बोर्ड को पूर्ण रूप से उन सब परिस्थितियों को प्रकट करूँगा जिनका मुझे ज्ञान है और जिसका सम्बन्ध मेरे स्वास्थ्य और उपयुक्त से उस नियुक्ति के लिए है जिसका मैं उम्मीदवार हूँ।

मुझे इसका पूरा ज्ञान है कि किसी सूचना को इच्छा पूर्वक छिपाने पर मैं नियुक्ति न किये जाने या नियुक्ति किये जाने पर उससे हाथ धोने का खतरा उठाऊँगा।

तारीख 25-11-2011

*James*  
Chairman, Medical Board

चेयरमैन, मेडिकल बोर्ड।

*[Signature]*

दिनांक 05

B-7 / 2011 / 15413 दिनांक 15.11.11 (7)

सन्दर्भ संख्या 2538/1-4-11(3211)/2011 दिनांक 08-11-2011 विभाग जूनाय  
 अभ्यर्थी का नाम उमेश कुमार शर्मा नियुक्ति पदनाम जूनाय विल एंड सिजन-पापार्षी  
 परीक्षण तिथि 25-11-2011 हस्ताक्षर अभ्यर्थी Umesh

मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट

प्रश्न	उत्तर	(टिप्पणी)
1. क्या इसके पूर्व पृष्ठ के घोषणा-पत्र पर उम्मीदवार द्वारा हस्ताक्षर किये गये हैं।	yes	169 cm Weight 81 kg
2. क्या जनजाति या बाद में उत्पन्न अंग विकृति का कोई प्रमाण है?	no	After full inspiration 97 Chest After full expiration 91 cm
3. क्या वह घावों के निशानों से मुक्त हैं और क्या वह अपने सब अंगों का पूरा उपयोग कर सकता है।	yes	
4. क्या कोई ऐसे लक्षण प्रकट होते हैं जिनसे यह निश्चय रूप से कहा जाय कि उसका शरीर धातु विकृति या धातु दोष युक्त है?	no	
5. क्या उम्मीदवार को विगत 6 वर्षों में सन्तोषजनक रीति से टीका लगा है?	-	
6. क्या कोई लक्षण स्नायु मण्डल सम्बन्धी बीमारी के हैं?	no	
7. क्या श्रवण-शक्ति अच्छी है?	yes	
8. क्या दृष्टि अच्छी है? Vn < 6/24 VnE < 6/6 CV < 6/6	yes	
9. क्या उसकी वाक-शक्ति जहाँ से उच्चारण का सम्बन्ध है, अच्छी है?	yes	
10. क्या हड्डियों, जोड़ों या उनसे सम्बन्धित अंगों की बीमारी के कोई लक्षण हैं?	no	
11. क्या चर्म रोग सम्बन्धी कोई विशेष बीमारी है?	no	
12. क्या दिल और धमनियाँ स्वस्थ हैं?	yes	
13. क्या उम्मीदवार को अर्श, बवासीर, अण्डकोष की नसों का सूजन या नसों की अन्य कोई बीमारी है?	no	
14. क्या स्तनसोच्छवास सम्बन्धी इन्द्रियों के रोग के कोई प्रमाण हैं?	no	
15. क्या पागल क्रिया सम्बन्धी अंगों के रोग के कोई लक्षण हैं? क्या दाँत अत्यन्त खराब या अन्य प्रकार दोषपूर्ण हैं?	no	
16. क्या उम्मीदवार का शरीर विदीर्ण तो नहीं है?	no	
17. क्या जननेन्द्रिय की बीमारी के कोई लक्षण हैं?	no	
18. क्या पेशाब (1) ऐलबुमन और (2) शक्कर से रहित है क्या पेशाब और तरह ठीक है?	yes	
19. क्या उम्मीदवार के स्वास्थ्य के सम्बन्ध में कोई ऐसी बात है जिसके कारण वह HSS के कर्तव्यों का समुचित रूप से पालन करने में अयोग्य समझते हो?	no	
20. क्या आप उम्मीदवार को सब प्रकार से लगातार और समुचित रूप से HSS के कर्तव्यों का पालन करने के लिए हर प्रकार योग्य समझते हैं?	yes	

तारीख 08-11-2011  
 अध्यक्ष, राज्य चिकित्सा परिषद, उ०प्र०  
 एवं विभागाध्यक्ष, जूनाय विभाग  
 मेडिकल कालेज, जूनाय

उप-अध्यक्ष, राज्य चिकित्सा परिषद, उ०प्र०  
 एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी  
 जूनाय

मेडिकल बोर्ड के चेयरमैन के हस्ताक्षर  
 जूनाय

उत्तर प्रदेश शासन  
नियुक्ति अनुभाग-4  
संख्या-2875/दो-4-2011-32(1)/2005  
लखनऊ: दिनांक 22 दिसम्बर 2011

yea-139

कार्यालय-ज्ञाप

महानिबन्धक, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के पत्र संख्या-194 /सेलेक्शन एण्ड एप्वाइन्टमेन्ट/2011 दिनांक 06.9.2011 द्वारा प्राप्त संस्तुति के अनुसार उ० प्र० उच्चतर न्यायिक सेवा (सीधी भर्ती) 2000 में चयन हेतु कुल 38 रिक्त पद (सामान्य श्रेणी-19 अनुसूचित जाति-08 अनुसूचित जनजाति-01, अन्य पिछड़ा वर्ग-10) विज्ञापित किये गये थे।

2- मा० उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ (फुल कोर्ट) की बैठक दिनांक 5.2.2005 में उपरोक्त रिक्तियों को भरे जाने के सम्बन्ध में विचार किया गया तथा कुल 39 रिक्तियाँ (सामान्य श्रेणी-26, अन्य पिछड़ा वर्ग-12, अनुसूचित जाति-01) अनुमोदित की गयी।

3- मा० उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ के उक्त निर्णय के विरुद्ध मा० उच्च न्यायालय लखनऊ बेंच लखनऊ में एक रिट याचिका संख्या-316/2004 उ० प्र० न्यायिक सेवा संघ बनाम उच्च न्यायालय, इलाहाबाद व अन्य दायर की गयी, जिसमें पारित मा० न्यायालय के निर्णय दि० 25.8.2004 द्वारा उपरोक्तानुसार 39 रिक्तियों में से केवल 24 रिक्तियों को भरे जाने के निर्देश दिये गये। इन 24 रिक्तियों/पदों में 13 सामान्य श्रेणी, 06 अन्य पिछड़ा वर्ग एवं 05 रिक्तियाँ अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों से भरी जानी थीं। मा० उच्च न्यायालय की लखनऊ खण्ड पीठ द्वारा पारित उक्त आदेश दिनांक 25.8.2004 के अनुपालन में 13 सामान्य श्रेणी, 06 अन्य पिछड़ा वर्ग, 05 अनुसूचित जाति/जनजाति रिक्तियों के सापेक्ष 01 अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी चयनित/उपयुक्त पाये गये। अतः महानिबन्धक, मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के अर्द्ध०शा०पत्र-संख्या-27(2)/2005 दिनांक 15.2.2005 द्वारा उपरोक्तानुसार कुल 20 चयनित अभ्यर्थियों के नियुक्ति पत्र निर्गत किये जाने हेतु मा० न्यायालय की संस्तुति शासन को उपलब्ध करायी गयी तथा 14 रिक्तियों को सीधी भर्ती के अभ्यर्थियों के कोटा में मा० उच्च न्यायालय द्वारा रिजर्व रखा गया।

इस प्रकार उ० प्र० उच्चतर न्यायिक सेवा परीक्षा 2000 में चयन के परिणाम स्वरूप महानिबन्धक, मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के अर्द्धशासकीय पत्र संख्या-27(2)/2005 दिनांक-15.2.2005 द्वारा प्राप्त मा० उच्च न्यायालय की संस्तुति के आधार पर उ० प्र० उच्चतर न्यायिक सेवा नियमावली-1975 यथासंशोधित के नियम 18(4) के अधीन 'बार' सीधी भर्ती के माध्यम से नियुक्ति हेतु संस्तुत कुल 20 अभ्यर्थियों की उ० प्र० उच्चतर न्यायिक सेवा में नियुक्ति शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-3071/दो-4-2005-32(1)/2005 दिनांक 08.6.2005, संख्या-3346/दो-4-2005-32(1)/2005 दिनांक 11.7.2005, संख्या-3629/दो-4-2005-32(1)/2005 दिनांक 22.9.2005, संख्या-4172/दो-4-2005-32(1)/2005 दिनांक 10.11.2005, संख्या-7804/दो-4-2006-32(1)/2005 दिनांक 04.1.2007 द्वारा की गयी थी।

4- रिट याचिका संख्या-316/2004 में पारित मा० उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 25.8.2004 के विरुद्ध एच.जे.एस. में चयनित अन्य अभ्यर्थियों द्वारा मा० उच्चतम न्यायालय में सिविल अपील संख्या-1312/2005 (1313/2005 के साथ) और सी.ए. संख्या-7927/2010, एस.एल.पी.(सी) संख्या-11476/2005 दायर की गयी जिसमें पारित आदेश दिनांक 13.9.2010 में मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया गया कि उच्च न्यायालय, इलाहाबाद की फुल कोर्ट द्वारा वर्ष 2000 की एच.जे.एस. परीक्षा में सीधी भर्ती में 38 रिक्तियों को अनुमोदित किया गया था।

मा० उच्चतम न्यायालय के उक्त आदेश दिनांक 13.9.2010 के अनुपालन में मा० उच्च न्यायालय द्वारा वर्ष 2000 व अन्य वर्षों के दौरान एच.जे.एस. की रिक्तियों की संख्या की गणना किये जाने हेतु 03 मा० न्यायमूर्तिगण की एक समिति का गठन किया गया। उक्त समिति द्वारा अपनी रिपोर्ट दिनांक 14.7.2011 को प्रस्तुत की गयी। मा० उच्च न्यायालय की पूर्णपीठ की बैठक दिनांक 30.7.2011 में उक्त 03 सदस्यीय मा० समिति की संस्तुति दिनांक-14.7.2011 को प्रकरण से सम्बन्धित मा० उच्चतम न्यायालय में लम्बित याचिका के अन्तिम आदेशों के अधीन स्वीकार किया गया।

5- अतएव मा० फुल कोर्ट के प्रस्ताव दिनांक 05.2.2005 एवं 30.7.2011 पर विचार किये जाने हेतु मा० चयन एवं नियुक्ति समिति की बैठक दिनांक 16.8.2011 को सम्पन्न हुई। उक्त बैठक में चयन एवं नियुक्ति समिति इस निष्कर्ष पर पहुँची कि सामान्य श्रेणी की 19

रिक्तियों के सापेक्ष 13 अभ्यर्थियों की नियुक्ति की जा चुकी है तथा 06 रिक्तियाँ शेष हैं। ओ. बी. सी. की 10 रिक्तियों के सापेक्ष 06 अभ्यर्थियों की नियुक्ति की जा चुकी है तथा 04 रिक्तियाँ शेष हैं। अनुसूचित जाति का कोई अभ्यर्थी उक्त चयन में एच.जे.एस. पद पर नियुक्ति हेतु उपलब्ध नहीं है। अतएव मा0 चयन एवं नियुक्ति समिति की रिपोर्ट दिनांक 11.1.2011, 03 सदस्यीय मा0 ज्येष्ठता समिति की संस्तुति दिनांक 14.7.2011, मा0 फुल कोर्ट के प्रस्ताव दिनांक 05.2.2005 एवं 30.7.2011 तथा मा0 चयन एवं नियुक्ति समिति के प्रस्ताव/संस्तुति दिनांक 16.8.2011 के दृष्टिगत उ0 प्र0 उच्चतर न्यायिक सेवा परीक्षा 2000 के अवशेष सीधी भर्ती के अभ्यर्थियों के सम्बन्ध में उ0 प्र0 उच्चतर न्यायिक सेवा नियमावली 1975 के नियम-18(4) के अन्तर्गत महानिबन्धक, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा पूर्व संस्तुति विषयक अर्द्धशासकीय पत्र संख्या-27(2)/2005 दिनांक 15.2.2005 के क्रम में अपने पत्र संख्या-194/सेलेक्शन एण्ड एप्वाइन्टमेन्ट/2011 दिनांक 06.9.2011 द्वारा उ0 प्र0 उच्चतर न्यायिक सेवा में नियुक्ति हेतु अवशेष 10 अभ्यर्थियों की सूची शासन को उपलब्ध करायी गयी। अतएव मा0 उच्च न्यायालय से प्राप्त उपरोक्त संस्तुति के दृष्टिगत उ0 प्र0 उच्चतर न्यायिक सेवा परीक्षा 2000 में 'बार' के अन्तर्गत सीधी भर्ती के माध्यम से चयनित/संस्तुत निम्नलिखित 06 अभ्यर्थियों को उ0 प्र0 उच्चतर न्यायिक सेवा नियमावली 1975 यथासंशोधित के नियम-22(1) के अन्तर्गत उ0 प्र0 उच्चतर न्यायिक सेवा में नियुक्त/तैनात करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

सामान्य श्रेणी		
महानिबन्धक, मा0 उच्च न्यायालय के पत्र दिनांक 6.9.2011 में उल्लिखित सूची क्रमांक	अभ्यर्थी का नाम/पिता का नाम	पत्र व्यवहार का पता
1.	श्री उमेश कुमार शर्मा पुत्र श्री श्याम किशोर शर्मा	6/130, निवारी रोड, मोदीनगर जिला गाजियाबाद (उ0 प्र0)201201
3.	श्री अतुल कुमार गुप्ता पुत्र श्री पुष्कर लाल गुप्ता	सी-745, दिल्ली गवर्मेन्ट फ्लैट्स, तिमारपुर, देहली-110054
5.	श्री कुलदीप कुमार पुत्र श्री जय प्रकाश शर्मा	बी-7/7 लाल क्वार्टर कृष्णानगर, दिल्ली-110051

6.	श्री दिनेश कुमार शर्मा पुत्र श्री नत्थी लाल शर्मा	9/2, मोती कटरा, आगरा उ० प्र० 282003
<b>अन्य पिछड़ा वर्ग</b>		
सूची क्रमांक	अभ्यर्थी का नाम/पिता का नाम	पत्र व्यवहार का पता
1.	श्री प्रमोद कुमार पुत्र श्री ब्रह्म प्रकाश	म०न०-77, सेक्टर-4, स्कीम-7, आवास विकास कालोनी, शास्त्री नगर, मेरठ (उ० प्र०)- 250002
4.	श्री सुभाष चन्द पुत्र श्री हरी राम	श्री सुभाष चन्द, एडवोकेट, लोधा मण्डी, नियर नाला ज्वालापुर, तह० व जिला हरिद्वार (उत्तराखण्ड) पिन कोड-249407

6- उपरोक्त 06 अभ्यर्थियों की नियुक्ति सिविल अपील संख्या-1609/2004(एस.एल.पी. (सिविल) संख्या-19298/ 2004) में पारित मा० उच्चतम न्यायालय के अन्तिम निर्णय के अधीन होगी।

7- प्रोन्नति द्वारा नियमित नियुक्त किये गये उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारियों एवं बार से सीधी भर्ती द्वारा उच्चतर न्यायिक सेवा में उक्त चयन वर्ष के आधार पर चयनित/नियुक्त किये गये उक्त उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारियों के मध्य उनकी पारस्परिक ज्येष्ठता मा० उच्च न्यायालय द्वारा नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

श्री राज्यपाल की आज्ञा से

कुँवर फतेह बहादुर  
प्रमुख सचिव

संख्या-2875(1)/दो-4-2011-32(1)/2005, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- निदेशक, मुद्रण लेखन सामाग्री, उ० प्र० इलाहाबाद को उ० प्र० गजट के आगामी हिन्दी तथा उर्दू अंक में प्रकाशनार्थ।

विशेष वाहक द्वारा

2- महानिबन्धक, मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद को उनके

पत्र संख्या-194/सेलेक्शन एण्ड एप्वाइन्टमेन्ट/2011 दिनांक 06.9.2011 के संदर्भ में इस विज्ञप्ति की 06 अतिरिक्त प्रति, सम्बन्धित अभ्यर्थियों द्वारा परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु भरे गये आवेदन प्रपत्रों एवं उनके संलग्नकों सहित मूलरूप में तथा उपरोक्त अभ्यर्थियों के विषय में चिकित्सा परिषद की स्वास्थ्य परीक्षण रिपोर्ट मूलरूप में, इस मन्तव्य के साथ प्रेषित कि उक्त अभ्यर्थियों में से यदि कोई मा0 उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित समयसीमा में बिना समुचित कारणों के अपना योगदान निर्धारित समयसीमा में बिना समुचित कारणों के अपना योगदान सेवा में प्रस्तुत नहीं करते हैं तो उसकी स्थिति से शासन को अविलम्ब अवगत कराने का कष्ट करें। इसके अतिरिक्त अभ्यर्थियों की तैनाती के सम्बन्ध में निर्गत होने वाले मा0 न्यायालय के आदेश की प्रति तथा अभ्यर्थियों के कार्यभार ग्रहण करने की तिथि/समय सहित सूचना शासन को कृपया तत्काल प्रेषित की जाय।

- 3- प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उ0 प्र0 शासन।
- 4- प्रमुख सचिव, मा0 मुख्य मंत्री जी उ0 प्र0 शासन।
- 5- प्रमुख सचिव, न्याय विधायी एवं विधि परामर्शी, उ0 प्र0 शासन।
- 6- प्रमुख सचिव, संसदीय कार्य, उ0 प्र0 शासन।
- 7- महालेखाकार, उ0 प्र0, इलाहाबाद।
- 8- संयुक्त निदेशक, कोषागार निदेशालय, शिविर कार्यालय नवीन कोषागार भवन, कचहरी रोड, इलाहाबाद।
- 9- निदेशक, न्यायिक प्रशिक्षण तथा अनुसंधान संस्थान, उ0 प्र0 गोमती नगर, लखनऊ।
- 10- न्याय (उच्च न्यायालय) अनुभाग/न्याय (अधीनस्थ न्यायालय) अनुभाग।


### रजिस्टर्ड

- 11- सम्बन्धित अभ्यर्थियों को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उनकी यह नियुक्ति पूर्णतया अस्थाई है एवं अपनी तैनाती के सम्बन्ध में महानिबन्धक, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद से तत्काल सम्पर्क स्थापित कर उनके द्वारा निर्गत किये जाने वाले आदेशों के अनुसार अपना योगदान प्रस्तुत करें। मा0 उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित समयसीमा में यदि कोई

अभ्यर्थी अपना कार्यभार ग्रहण नहीं करते हैं तो उनका अभ्यर्थन स्वतः समाप्त हो जायेगा तथा ऐसी स्थिति में इस सेवा में नियुक्ति के लिए उनका कोई दावा मान्य नहीं होगा। अभ्यर्थियों को यह भी सूचित किया जाता है कि यदि वह इस सेवा में कार्यभार ग्रहण करने के इच्छुक नहीं हैं, तो उसकी लिखित सूचना महानिबन्धक, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद तथा प्रमुख सचिव, नियुक्ति विभाग, उ० प्र० शासन को तत्काल भेजें। उन्हें यह भी सूचित किया जाता है कि उ० प्र० उच्चतर न्यायिक सेवा के पद पर उनकी नियुक्ति अस्थाई रूप से इस प्रतिबन्ध के साथ की जा रही है कि उन्हें निदेशक, न्यायिक प्रशिक्षण तथा अनुसंधान संस्थान उ० प्र० लखनऊ के निर्देश प्राप्त होने पर विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। अभ्यर्थी जब तक उच्चतर न्यायिक सेवा के पद पर स्थाई रूप से नियुक्त नहीं हो जाते हैं, वह तब तक अस्थाई कर्मचारियों पर लागू शासकीय अधिसूचना संख्या-20/1/74 नियुक्ति-3 दिनांक 11.6.75 में दी गयी शर्तों के अधीन रहेंगे। अभ्यर्थियों को कार्यभार ग्रहण करने हेतु कोई यात्रा भत्ता अनुमन्य नहीं होगा।

13-  
ay  
23.12.11

गार्ड फाइल।

आज्ञा से,  
  
(डा० सुनील कुमार)  
अनु सचिव।